

नगरपालिका निर्वाचन

प्ररूप-ख

परिशिष्ट-ग्यारह

मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के ब्यौरे पर आपत्ति

[नियम 5(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित "प्ररूप-ख"]

सेवा में,

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् जिला

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि उक्त नगर के वार्ड क्रमांक के भाग क्रमांक की मतदाता सूची की प्रविष्टि, जो क्रमांक पर के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। कृपया उसे शुद्ध करें जिससे वह निम्नलिखित रूप से पढ़ी जाए :—

.....

स्थान

तारीख

मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पूरा नाम

टिप्पणी.—जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का *उसे विश्वास नहीं है, वह एक दण्डनीय अपराध करता है।

सुनवाई के लिये निर्धारित तारीख

(कार्यालय के लिये)

पावती

प्रस्तुत दावे/आपत्ति पर सुनवाई तारीख की सूचना प्राप्त हुई।

तारीख

हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

प्रस्तुतकर्ता

— x — x — x — x — x — x — x —

आवेदन की रसीद तथा पेशी की तारीख की सूचना

(प्रस्तुतकर्ता के लिये)

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/की निवासी है, से प्ररूप-ख में आवेदन प्राप्त हुआ।

हाल ही के पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ (3.5 से.मी.× 3.5 से.मी.), जिसमें बॉक्स के भीतर चेहरे की पूरी आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए स्थान

2. आवेदन में सुनवाई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थान में स्थित अपने कार्यालय में तारीख को समय 10.30 बजे प्रातः की जाएगी. वे सुनवाई के लिये आवश्यक साक्ष्य/जानकारी के साथ उपस्थित हों।

तारीख

प्राधिकृत कर्मचारी

वार्ड क्रमांक

वास्ते रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

प्राधिकृत कर्मचारी की टीप :—

(1) मामले में प्रार्थी को सुनवाई के लिये तारीख को प्रातः 10.30 बजे रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने के लिये सूचित किया गया है।

(2) प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर मेरी रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

.....

तारीख

हस्ताक्षर प्राधिकृत कर्मचारी

(नाम

वार्ड का क्रमांक

आवेदन के संबंध में पारित आदेश

आदेश क्रमांक

तारीख

श्री/श्रीमती/कुमारी जो का/की निवासी है, द्वारा “प्ररूप-ख” में प्रस्तुत आपत्ति को—

(क) स्वीकार कर लिया गया है और सुसंगत प्रविष्टि को शुद्ध कर दिया गया है, जो अब निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाएगी—

.....

(ख) निम्नलिखित कारण से नामंजूर कर दिया गया है :—

.....

मोहर

.....
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी